

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 634/2024
अनवान : -

1. दलीप पुत्र हेत राम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. हेतराम पुत्र केशाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. अमीलाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. पवन कुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील ।
4. सरलादेवी पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. सुखी पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
6. कमलेश पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0
अधि0 1955


उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 16/7/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 101/93 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.6450 है0 भूमि वा रोही मोजा 3 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 के खाता संख्या 150/150 के कुल खसरे 5 की कुल 0.5060 है. भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादी व प्रतिवादी संख्या 2,4,5 का वृद्ध पिता है उपरोक्त भूमि मे कोई हक हिस्सा नही लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परीवार के मोजिज व्यक्तियों के सामने अपने पुत्रों के पक्ष मे परित्याग चुका है व प्रतिवादी संख्या 2 जो की प्रतिवादी संख्या 3 का पिता है अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका है व प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 जो की वादी की बहिने है व प्रतिवादी संख्या 3 की बुआ है व प्रतिवादी संख्या 6 जो की प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्री व प्रतिवादी संख्या 3 की बहिन है उपरोक्त भूमि कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती व अपना जो हक व हिस्सा है अपने भाईयो व भतीजे के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इसी प्रकार बाद हकत्याग मुताबीक पारिवारीक समझोता रोही मोजा 5 जेएसएन के खाता संख्या 101/93 के कुल खसरे 7 की कुल 1.6450 है0 भूमि के प. न. 359/376 के मु. न. 3 के किला

 उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न. 17, 23, 24, प्रत्येक की .253 है. भूमि व किला न. 25 के मिन पश्चिम की .051 है. भूमि पर वादी काबिज है व प. न. 360/376 के मु. न. 4 के किला न. 20 की .253 है., किला न. 21/2 की .1270 है. भूमि व प. न. 359/376 के मु. न. 3 के किला न. 25 की मिन पूर्व की .202 है. भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है। वादी जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी सं० 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादी सं० 1 ता 2 व 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 101/93 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.6450 है० भूमि वा रोही मोजा 3 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत्

अ
उपजज अधिकारी
नोहर

2071-2074 के खाता संख्या 150/150 के कुल खसरे 5 की कुल 0.5060 है। भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 5 जेएसएन के खाता संख्या 101/93 के कुल खसरे 7 की कुल 1.6450 है 0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प. न. 359/376 के मु. न. 3 के किला न. 17, 23, 24, प्रत्येक की .253 है। भूमि व किला न. 25 के पश्चिम की .051 है। भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व व प. न. 360/376 के मु. न. 4 के किला न. 20 की .253 है, किला न. 21/2 की .1270 है। भूमि व प. न. 359/376 के मु. न. 3 के किला न. 25 के मिन पूर्व की .202 है। भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 634/2024

अनवान : -

1. दलीप पुत्र हेत राम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. हेतराम पुत्र केशाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. अमीलाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. पवन कुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील ।
4. सरलादेवी पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. सुखी पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
6. कमलेश पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 634 सन 2024 निर्णय दिनांक 16/07/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 5 जेएसएन के खाता संख्या 101/93 के कुल खसरे 7 की कुल 1.6450 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प. न. 359/376 के मु. न. 3 के किला न. 17, 23, 24, प्रत्येक की .253 है. भूमि व किला न. 25 के पश्चिम की .051 है. भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व व प. न. 360/376 के मु. न. 4 के किला न. 20 की .253 है., किला न. 21/2 की .1270 है. भूमि व प. न. 359/376 के मु. न. 3 के किला न. 25 के मिन पूर्व की .202 है. भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/7/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर